वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel No 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

Ref.No-2724/EXAM/VMSBUTU/2026 Date-29-10-2026

सेवा में,

समस्त निदेशक/प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध एवं संघटक संस्थान,

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

विषय: UMS पोर्टल पर प्रश्न बैंक निर्माण हेतु प्रश्नों एवं उनके मॉडल उत्तरों की अनिवार्य प्रविष्टि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप सभी को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र से प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु **प्रश्न बैंक (Question Bank)** तैयार करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न बैंक में संकलित प्रश्नों के आधार पर UMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम रूप से प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने-अपने संस्थानों एवं विभागों में कार्यरत समस्त संकाय सदस्यों को निर्देशित करें कि वे अपने UMS लॉगिन में प्रवेश कर उन सभी पाठ्यक्रमों (Courses) के प्रश्न बैंक में प्रश्नों की प्रविष्टि सुनिश्चित करें, जिन्हें वे वर्तमान में पढ़ा रहे हैं।

प्रश्नों की प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए:

1. **ENGINEERING,BCA,MCA,MBA,BBA,BHMCT,LAW पाठ्यक्रम हेतु:** प्रत्येक संबंधित शिक्षकों को अपने आवंटित पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 50 प्रश्न प्रविष्ट करने होंगे, जिनमें 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (10 अंक प्रत्येक) तथा 25 मध्यम उत्तरीय प्रश्न (5 अंक प्रत्येक) शामिल होंगे। सभी प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम एवं वर्तमान परीक्षा-पद्धति के अनुरूप होने चाहिए। LAW कोर्स के लिये हिन्दी एवं English दोनों में पेपर होना चाहिए।
2. **प्रश्नों के साथ मॉडल उत्तर अनिवार्य:** प्रश्न बैंक में प्रत्येक प्रश्न के साथ उसका उत्तर/मॉडल सॉल्यूशन (Model Answer/Solution) प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर संबंधित प्रश्न के अनुरूप, स्पष्ट एवं विषयवस्तु की दृष्टि से पूर्ण हों।
3. **यूनिटवार समान वितरण:** प्रश्न बैंक में प्रश्नों की प्रविष्टि करते समय संबंधित पाठ्यक्रम की सभी यूनिटों (Units) को समान महत्व दिया जाए तथा प्रश्नों का यथासंभव समान अनुपात में वितरण सुनिश्चित किया जाए। उदाहरणार्थ, यदि किसी पाठ्यक्रम में पाँच यूनिट हैं, तो प्रश्नों को सभी पाँच यूनिटों में समान रूप से वितरित किया जाए, ताकि किसी भी यूनिट से प्रश्नों की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक या कम न हो।
4. **फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु:** संबंधित शिक्षक अपने आवंटित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रचलित परीक्षा-पद्धति एवं निर्धारित प्रारूप के अनुरूप प्रश्नों की प्रविष्टि करेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) भी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ उसका सही उत्तर देना अनिवार्य होगा।
5. **समय-सीमा:** प्रश्न बैंक में प्रश्नों एवं उनके मॉडल उत्तरों की प्रविष्टि हेतु दिनांक **01 नवंबर से 06 नवंबर 2026** तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी संबंधित शिक्षक इस अवधि में निर्धारित कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

P.T.O

6. **अनिवार्यता:** प्रश्न बैंक में प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की प्रविष्टि सभी संबंधित संकाय सदस्यों के लिए अनिवार्य है। संस्थान प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत प्रत्येक संबंधित शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के प्रश्न बैंक में निर्धारित संख्या में प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की प्रविष्टि समयबद्ध रूप से पूर्ण करें।
7. **मानदेय:** प्रश्न बैंक में प्रश्नों एवं उनके मॉडल उत्तरों की प्रविष्टि करने वाले शिक्षकों को नियमानुसार निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा।
8. **तकनीकी सहायता:** UMS पोर्टल पर लॉगिन करने अथवा प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की प्रविष्टि के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या असुविधा होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके।

प्रश्न बैंक का निर्माण विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने अधीनस्थ संकाय सदस्यों को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नों एवं उनके मॉडल उत्तरों की प्रविष्टि पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 एस0के0गोयल)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति वी0मा0सिं0भ0,प्रौ0वि0वि0 को मा0 कुलपति महोदया के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0,प्रौ0वि0वि0देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0,प्रौ0वि0वि0देहरादून।
4. वेब मास्टर, वी0मा0सिं0भ0,प्रौ0वि0वि0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संस्थानों को ई–मेल के माध्यम से पत्र प्रेषित एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. प्रतिनिधि, यू0एम0एस0 को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

(डॉ0 एस0के0गोयल)
परीक्षा नियंत्रक